

अपशषिट उत्पादकों पर SWM उपकर

प्रलिस के लयि:

ठोस अपशषिट प्रबंधन उपकर, [ठोस अपशषिट प्रबंधन, लैंडफलि, ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016](#)

मेन्स के लयि:

[ठोस अपशषिट प्रबंधन से संबंधति मुददे](#). SWM पर उपकर बढ़ाने की आवश्यकता ।

[स्रोत:द हद्रि](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में बंगलुरु ने ठोस अपशषिट प्रबंधन (SWM) प्रक्रयि में वत्तीय कमी से नपिटने हेतु प्रत्येक घर पर ठोस अपशषिट प्रबंधन (SWM) उपकर को बढ़ाकर **100 रुपए प्रतमाह** करने का प्रस्ताव कयि है ।

- वर्तमान में ULBs द्वारा SWM सेवाओं के लयि लगभग 30-50 रुपए प्रतमाह लयि जाते हैं, जसिका **संग्रहण अकसर संपत्तकिर** के साथ कयि जाता है ।

SWM उपकर:

- परचय:**
 - ठोस अपशषिट प्रबंधन (SWM) उपकर, भारत में **शहरी स्थानीय नकियों (ULBs)** द्वारा लगाया जाने वाला एक उपयोगकर्त्ता शुल्क या प्रभार है ।
 - उपकर** एक प्रकार का कर या शुल्क है जो सरकारों द्वारा बशषिट सेवाओं या उद्देश्यों (जैसे- अपशषिट प्रबंधन या बुनयिदी ढाँचे के वकिस) हेतु लगाया जाता है ।
- वधिकि प्रावधान:**
 - ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016** के अनुसार, शहरी स्थानीय नकियों को SWM सेवाओं हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क या उपकर वसूलने का अधकिर है । बढ़ते खर्चों एवं ठोस अपशषिट के कुशलतापूरवक प्रबंधन के क्रम में शहरी स्थानीय नकियों के समक्ष आने वाली कठनिाइयों के संदर्भ में इस शुल्क को बढ़ाने पर वचिर कयि जाता है ।

ठोस अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016:

- इन नयिमों द्वारा नगरपालकिा ठोस अपशषिट (प्रबंधन एवं हैंडलगि) नयिम, 2000 का स्थान लयि गया ।
- इसमें **स्रोत पर अपशषिट के पृथक्करण**, सैनटिरी और पैकेजगि अपशषिटों के नपिटान हेतु **उत्पादक के उत्तरदायतिव** के साथ अपशषिट के संग्रहण, नपिटान एवं प्रसंस्करण हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क पर बल दयि गया ।
- प्रमुख वशिषताएँ:**
 - अपशषिट पृथक्करण और नपिटान:** लोगों के लयि अपशषिट को **गीला (बायोडगिरेडेबल)**, **सूखा (पुनरनवीनीकरण योग्य)** तथा **खतरनाक श्रेणयिों में पृथक्** करना चाहयि । पृथक् कयि गया अपशषिट, अधकृत संग्रहकर्ताओं या स्थानीय नकियों के पास जाएगा ।
 - भुगतान:** स्थानीय लोगों को अपशषिट के संग्रह के बदले में **उपयोगकर्त्ता शुल्क का भुगतान** करने के साथ अपशषिट फैलाने या अलग न करने पर **जुर्माना देना** होगा ।
 - अपशषिट प्रसंस्करण:** इसमें संभव होने पर SWM नयिमों के तहत **अपशषिट से खाद बनाने या इसके जैव-मीथेनेशन को प्रोत्साहति** करने के साथ लैंडफलि, अपशषिट-से-ऊर्जा संयंत्र एवं पहाड़ी कषेत्रों हेतु वशिष हैंडलगि नयिमों जैसे प्रावधान शामिल हैं ।
 - स्थानीय प्राधकिरणों के कर्त्तव्य:** नगर पालकिाओं को अपशषिट को इकट्ठा करने, उचति प्रसंस्करण/नपिटान सुनशिचति करने तथा संबंधति खर्चों हेतु उपयोगकर्त्ता शुल्क लगाने पर बल देना चाहयि ।

- **वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व:** डस्पोजेबल (पैकेजिंग) के उत्पादकों की इसके संग्रहण तथा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को वित्तीय रूप से समर्थन देने की ज़िम्मेदारी है।

अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित अन्य पहल:

- **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016 एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022।**
- **जैव-चकितिसा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016**
- **वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल:** इसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पन्न करने, सामग्रियों को पुनः चक्रित करने और मूल्यवान संसाधनों को निकालने के लिये अपशिष्ट का उपचार करने हेतु **प्रौद्योगिकियों की पहचान** करना है, जिसमें उनका **विकास** करना और उनका **उपयोग** करना शामिल है।
- **वेस्ट टू एनर्जी:** वेस्ट टू एनर्जी या **अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र** नगरपालिका एवं औद्योगिक ठोस अपशिष्ट को औद्योगिक प्रसंस्करण हेतु वदियुत या ऊष्मा में **परिवर्तित करता है।**
- **प्रोजेक्ट रप्लान (REPLAN):** इसका उद्देश्य **प्रसंस्कृत और उपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट** को कॉटन फाइबर रैग (Cotton Fibre Rag) के साथ 20:80 के अनुपात में मिलाकर कैंरी बैग का निर्माण करना है।

SWM उपकर संग्रह बढ़ाने के पीछे क्या तर्क है?

- **SWM सेवाओं की उच्च लागत:** SWM प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और संसाधन-गहन है, जो **ULB के वार्षिक बजट का 50% तक खर्च** करती है।
 - व्यय में पूंजी निवेश के साथ-साथ वेतन, अपशिष्ट संग्रहण और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के संचालन सहित पर्यायितन लागतें भी शामिल हैं।
- **राजस्व संबंधी चुनौतियाँ:** SWM पर उच्च व्यय के बावजूद, इन सेवाओं से प्राप्त राजस्व न्यूनतम है।
 - उदाहरण के लिये, बंगलुरु SWM सेवाओं पर लगभग 1,643 करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि SWM सेवाओं से प्राप्त राजस्व, प्राप्त अनुदान को छोड़कर, लगभग नगण्य अथवा 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष है।
- **सीमिति पुनर्चक्रणीयता:** शुष्क अपशिष्ट का मात्र 1-2% ही पुनर्चक्रणीय है, जबकि अधिकांश अपशिष्ट गैर-पुनर्चक्रणीय और गैर-जैवनिम्नीकरणीय है, जिससे **पुनर्चक्रण प्रयासों से नगण्य राजस्व प्राप्त** होता है, जिसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है।
- **पर्यायितन संबंधी चुनौतियाँ:** स्रोत पर अपशिष्ट का उचित पृथक्करण प्रयास नहीं होता है, जिससे अपशिष्ट का प्रसंस्करण जटिल हो जाता है।
 - अपशिष्ट के प्रसंस्करण से प्राप्त तैयार उत्पादों के लिये सीमिति बाजार है, जिससे यह वित्तीय रूप से अव्यवहारिक हो जाता है।
- **नपिटान लागत:** गैर-खाद योग्य और गैर-पुनर्चक्रणीय शुष्क अपशिष्ट का नपिटान एक महत्वपूर्ण व्यय है, विशेष रूप से **परविहन लागत** के कारण, क्योंकि उचित अपशिष्ट नपिटान की सुविधाएँ प्रयास शहरी केंद्रों से दूर स्थित होती हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीके

- **पुनर्चक्रण:** कागज़, प्लास्टिक, धातु और काँच जैसी पुरानी सामग्रियों को **नए उत्पादों में परिवर्तित करने से संसाधनों पर निर्भरता कम** होती है, साथ ही **ऊर्जा की बचत** भी होती है।
- **लैंडफिल:** इनका उपयोग सभी प्रकार के अपशिष्ट के नपिटान के लिये किया जाता है क्योंकि ये उन सामग्रियों के लिये अंतिम गंतव्य के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है या प्राकृतिक रूप से वघिटति नहीं किया जा सकता है। आधुनिक लैंडफिल अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये लाइनर और अन्य **रोकथाम वधियों** का उपयोग करते हैं।
- **भस्मीकरण:** इसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट का दहन शामिल है, जिससे इसकी मात्रा काफी कम हो जाती है। यह वायु प्रदूषण और हानिकारक प्रदूषकों के उत्सर्जन संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न करता है।
- **खाद निर्माण:** यह **जैविक अपशिष्ट**, जैसे कि खाद अपशिष्ट और यार्ड के **प्रबंधन** के लिये एक प्राकृतिक समाधान प्रदान करता है। खाद निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से, इन सामग्रियों को **पोषक तत्वों से भरपूर उर्वरक** में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग मृदा के स्वास्थ्य को समृद्ध करने के लिये किया जा सकता है।

//



SWM सेवाओं पर परचालन व्यय को कम करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **स्रोत पर अपशष्टि पृथक्करण:** घरेलू स्तर पर अपशष्टि पृथक्करण में सुधार करने से खाद नरिमाण के कार्य से उपज में वृद्धि हो सकती है और शुष्क अपशष्टि के पुनर्चकरण में वृद्धि हो सकती है, जिससे परचालन लागत कम हो सकती है।
- **एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करना:** गैर-पुनर्चकरणीय एकल-उपयोग प्लास्टिक के बढ़ते प्रचलन से शहरी स्थानीय नकियों के लिये परविहन और नपिटान लागत में वृद्धि होती है। ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने से परचालन व्यय को कम करने में सहायता मलि सकती है।
- **वकिंदरीकृत खाद नरिमाण:** तमलिनाडु और केरल में देखे गए वार्ड स्तर पर **माइक्रो खाद केंद्र (MCC)** स्थापति करने से तरल अपशष्टि को स्थानीय स्तर पर संसाधति करने तथा परविहन लागत को कम करने में सहायता मलि सकती है।
- **थोक अपशष्टि उत्पादकों द्वारा स्व-अपशष्टि प्रसंस्करण:** बड़े संस्थानों और प्रतषिठानों को आंतरकि अपशष्टि प्रसंस्करण सुवधिएँ स्थापति करने के लिये प्रोत्साहति करने से शहरी स्थानीय नकियों पर बोझ कम करने तथा स्वच्छ परसिर को बढ़ावा देने में मदद मलि सकती है।
- **सूचना, शकिषा और जागरूकता (IEC):** इससे खुले में कूड़ा फेंकने से रोकने में मदद मलिगी। अनुचति अपशष्टि नपिटान को हतोत्साहति करने के लिये प्रभावी IEC अभयान सडकों की सफाई तथा नालयिों को साफ करने हेतु आवश्यक श्रम को कम कर सकते हैं, जिससे अपशष्टि प्रसंस्करण एवं मूल्य वसूली के लिये संसाधनों का पुनर्नयोजन हो सकता है।



वैश्विक अपशष्टि प्रबंधन आउटलुक 2024 रपौरट (GWMO 2024)

- इसे [संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम \(United Nations Environment Programme- UNEP\)](#) द्वारा फरवरी 2024 में जारी किया जाएगा।
- मुख्य नषिकर्ष:
 - वैश्विक परदृश्य: वशिव भर में प्रतविरष दो अरब टन से अधकि नगरपालकि ठोस अपशष्टि (Municipal Solid Waste-MSW) उत्पन्न होता है।
 - अपशष्टि संग्रहण: वैश्विक जनसंख्या के एक तहिरई से अधकि लोग, वशिव रूप से दक्षणि और वकिसशील कषेत्रों में, गंभीर अपशष्टि प्रबंधन समस्यओं का सामना कर रहे हैं तथा 2.7 बलियिन से अधकि लोगों के पास उचति अपशष्टि संग्रहण सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
 - लगभग 540 मलियिन टन MSW, जो वैश्विक कुल का 27% है, एकत्रति नहीं किया जा सका है।
 - भवषिय का अनुमान: अपशष्टि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धी होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में 2.3 बलियिन टन से बढकस्रष 2050 तक 3.8 बलियिन टन हो जाएगी।
- अपशष्टि प्रबंधन में बाधाएँ: इसमें सार्वजनकि जागरूकता और शकिषा की कमी, नरिणय लेने में समावेश की कमी, मशिरति अपशष्टि से पुनरचकरण योग्य सामग्री नकालने में तकनीकी बाधाएँ तथा नजिी कषेत्र की भागीदारी में बाधा डालने वाली नौकरशाही बाधाएँ शामिल हैं।

दृषटभुख्य प्रश्न:

प्रश्न: अपशष्टि प्रबंधन मुद्दों से नपिटने और पर्यावरणीय स्थरिता में सुधार करने के लयि ठोस अपशष्टि प्रबंधन (SWM) उपकर शुरु करने के प्रभाव का मूल्यांकन कीजयि।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????:

प्रश्न. भारत में ठोस अपशष्टि प्रबंधन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा एक कथन सही है? (2019)

- (a) अपशष्टि उत्पादक को पाँच कोटयिों में अपशष्टि अलग करना करने होंगे।
- (b) ये नयिम केवल अधसिूचति नगरीय स्थानीय नकियायों, अधसिूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे।

- (c) इन नयिमों में अपशष्टि भराव स्थलों तथा अपशष्टि प्रसंस्करण सुवधियों के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं ।
(d) अपशष्टि उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा ककिंसी एक ज़िले में उत्पादति अपशष्टि, ककिंसी अन्य ज़िले में न ले जाया जाए ।

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. नरिंतर उत्पन्न कयि जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की वशिल मात्राओं का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशष्टियों को सुरक्षति रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)

प्रश्न. “जल, सफाई और स्वच्छता की आवश्यकता को लक्षति करने वाली नीतियों के प्रभावी क्रयिान्वयन को सुनश्चिति करने के लयि लाभार्थी वर्गों की पहचान को प्रत्याशति परणामों के साथ जोड़ना होगा ।” ‘वाश’ योजना के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजयि । (2017)

प्रश्न. सामाजकि प्रभाव और समझाना-बुझाना स्वच्छ भारत अभयान की सफलता के लयि कसि प्रकार योगदान कर सकते हैं? (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/swm-cess-on-waste-generators>

